गैरयोजना

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0–2/जी अजाविनि–07/2012– 34

प्रेषक,

प्रेम सिंह मीणा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीर चन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक– 22.8.16

विषयः–**वितीय वर्ष 2016–17 में बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि0 (अजाविनि) को सहायक अनुदान–वेतन एवं वेतनादि के अलावा हेतु कुल ₹400.00 लाख (चार करोड) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति ।**

आदेशः– स्वीकृत।

2– गैर योजना मद में प्रस्तावित राशि "मुख्य शीर्ष–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–उपमुख्य शीर्ष 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–लधु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकर्मो को सहायता–उप शीर्ष–0001–बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम पटना–मांग सं0–44–विषय शीर्ष–31 04–सहायक अनुदान–वेतन–31 06–सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा विपत्र कोड–N2225011900001 के अन्तर्गत विकलनीय है ।

उपरोक्त मद में वर्ष 2016–17 के लिए गैरयोजना मद में उदव्यय एवं बजट प्रावधान है।

कमांक	विषय शीर्ष	विवरणी	वार्षिक व्यय विवरणी (राशि रू0 में)
1	3104	सहायक अनुदान–वेतन	₹38700000
2	3106	सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा	₹1300000

3– उक्त राशि के लिए निकासी पदाधिकारी, उपनिदेशक(मु0), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पटना बिहार होगे। वे राशि की निकासी कर बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि0 (अजाविनि), पटना के पी0 एल0 खाता सं0–283 में हस्तांतरित करेंगें। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि0 (अजाविनि), पटना द्वारा नियमानुसार राशि का व्यय किया जाएगा।

4– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17/4/98 तथा समय–समय प्रर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

5– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि0 (अजाविनि), पटना द्वारा इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 31.03.2017 तक विभाग को उपलब्ध करा देगें। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

6–महालेखाकार, बिहार, पटना को इस राशि के व्यय से सम्बन्धित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा।

7–इस प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार से संचिका सं0–2/जी अजाविनि–07/2012– के पृ0–133/टि0 सहमति प्राप्त है।

8–इस राशि की स्वीकृति में विभागीय स्थायी वित्त समिति एवं विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

9– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

19.8.16

(प्रेम सिंह मीणा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक—2/जी अजाविनि—07/2012— 34 पटना, दिनांक— 22.8.16

प्रतिलिपि— वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना/विशेष सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/उपनिदेशक(मु0)—सह—निकासी एवं व्ययम पदाधिकारी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पटना बिहार/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक— 2/जी अजाविनि—07/2012— 34 पटना, दिनांक— 22.8.16

प्रतिलिपि — कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक— 2/जी अजाविनि—07/2012— 34 पटना, दिनांक— 22.8.16

प्रतिलिपि — प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि0 (अजाविनि), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक— 2/जी अजाविनि—07/2012— 34 पटना, दिनांक— 22.8.16

प्रतिलिपि — आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को विभागींय वेव—साईट पर अपलोड एवं सभी संबंधित को ई—मेल करने के लिए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19.8.16
सरकार के सचिव।